इंवेस्टमेंट के नाम पर 3.88 करोड़ की सायबर ठगी, छह आरोपी गिरफ्तार

आरोपियों के पास से 4 लाख 49 हजार रूपये व सात मोबाइल फोन जब्त किये

कोटा, (निसं)। इंवेस्टमेंट के नाम पर 3 करोड़ 88 लाख रूपये की सायबर ठगी के मामले में सायबर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए छह सायबर ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने ठगों के पास से 4 लाख 49 हजार की राशि जब्त की है।

शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि फरियादी ने 13 नवम्बर 2025 को सायबर थाने मे रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में कहा कि इंवेस्टमेंट के नाम पर 3 करोड़ 88 लाख रूपये की सायबर ठगी की गई है। शहर एसपी ने बताया कि फरियादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया। मामले में अनुसंधान के लिये शहर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी के निर्देशन में पुलिस उपअधीक्षक गंगासहाय शर्मा सायबर थाना के नेतृत्व में टीम गठित की गई। गठित टीम ने मामले में तकनिकी अनुसंधान किया व बैंक रिकॉर्ड प्राप्त किये एवं संदिग्ध खाताधारकों व उन खातों को ऑपरेट करने वाले आरोपियों को चिन्हित किया। शहर एसपी ने बताया कि गठित दल ने मामले में अनुसंधान करते हुए साजिदेहड़ा हाल अनंतपुरा केसर विहार निवासी दानिश खान, लाजपत नगर द्वितीय निवासी विक्रांत नरूका, नयापुरा अटवाड़ा सोजत पाली निवासी अशफाक हुसैन, ब्यावर निवासी देवेन्द्र सिंह भाटी, जिला ब्यावर के मांडेडा निवासी शोकिन काठात एवं लक्ष्मण विहार कुन्हाड़ी निवासी चन्द्रश्याम मीणा को सायबर ठगी की वारदात में लिप्त मिलने पर प्रकरण में गिरफ्तार किया गया।

शहर एसपी ने बताया कि मामले में पाली निवासी अशफाक हुसैन द्वारा कोटा शहर में अलग-अलग व्यक्तियों

- **पकड़े गये सायबर ठगों से पुलिस मामले में पूछताछ कर रही है**

से बैंक खाते खरीदकर उन खातों में टेलिग्राम ग्रुप के माध्यम से विदेशों में स्थित सायबर ठगों से सायबर ठगी की राशि डलवाकर उस राशि से अपना कमीशन प्राप्त कर शेष राशि को यूएसडीटी क्रिप्टोकरेंसी में कन्वर्ट कर टीआरसी20 एड्रेस से विदेशी ठगों से भेजना पाया गया है।

वहीं आरोपी देवेन्द्र सिंह भाटी द्वारा कम्बोडिया में स्थित सायबर ठगों के साथ मिलकर फरियादी से सायबर ठगी की राशि अन्य आरोपियों के बैंक खाते में डलवाकर कैश विड्रॉल कर विदेशी ठगों को देना पाया गया। शहर एसपी ने बताया कि सायबर पुलिस टीम ने पकड़े गये आरोपियों के पास से 4 लाख 49 हजार रूपये व सात मोबाइल फोन जब्त किये हैं। पकड़े गये सायबर ठगों से मामले में अनुसंधान जारी है।

देशी बम्बूल से भरा ट्रक सहित आरोपी गिरफ्तार : कोटा के बपावर कलां पुलिस टीम ने मुखबीर की सूचना पर आधा ट्रक भरी देशी बम्बूल की लकड़ी सहित आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने आरोपी के पास से लकड़ी काटने की सात कटार मशीन जब्त की है।

ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु कार्रवाई के लिये ग्रामीण पुलिस थानाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। ग्रामीण एसपी ने बताया कि बपावर पुलिस टीम को मुखबीर से सूचना मिली कि एक टाटा ट्रक चालक लाल रंग के ट्रक में चरेल गांव की तरफ से सरकारी भूमि से अवैध लकड़ी काटकर चोरी करके बारां की तरफ जा रहा है।

ग्रामीण एसपी ने बताया कि मुखबीर की सूचना पर पुलिस उपअधीक्षक वृत्त सांगोद नरेन्द्र जैन के सुपरविजन में थानाधिकारी मदनलाल ढाका के नेतृत्व में टीम गठित की गई। ग्रामीण एसपी ने बताया कि थानाधिकारी मदनलाल ढाका मय जाब्ता लेकर खानपुर बारां एनएच रोड गौरव पथ के पास बपावर कलां पहुंचे और नाकाबंदी कर ट्रक को रोक कर तलाशी ली तो पुलिस टीम को अवैध लकड़ी देशी बम्बूल आधा ट्रक सहित लकड़ी काटने की सात कटार मशीन मिली। पुलिस टीम ने मौके पर बूंदी के थाना दबलाना टीकरदा निवासी संजय राठौर (40) को गिरफ्तार किया।

फायरिंग के चार आरोपी गिरफ्तार, हथियार बरामद

आरोपी सोशल मीडिया पर स्वयं को कोटा के डॉन बताते थे

कोटा, (निसं)। ग्रामीण पुलिस कोटा टीम ने कैथून में फायरिंग के मामले का खुलासा करते हुए फायरिंग के चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने पकड़े गये आरोपियों के पास से पिस्टल, कारतूस, चाकू एवं कार बरामद की है।

ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि पकड़े गये आरोपी सोशल मीडिया पर खुद को कोटा का डॉन बताकर समाज में दहशत फैलाने का काम करते थे। ग्रामीण एसपी ने बताया कि 8 जनवरी को फरियादी अब्दुल कदिर ने कैथून थाने में रिपोर्ट दी। फरियादी ने रिपोर्ट में कहा कि मेरे द्वारा आकाशवाणी केन्द्र के सामने शिवाजी नगर नाम से आवासीय कॉलोनी काटी है। रिपोर्ट में कहा कि वह प्लानिंग पर मौजूद था और उसका बेटा व कुछ कर्मचारी काउंटर के पास खड़े थे। उसी समय सकतपुरा निवासी समीर गंजा, आफाक अंसारी और तिवारी बच्चा तीनों बाइक पर आये और प्लानिंग के सामने बाइक को रोकर समीर गंजा ने जान से मारने कि नियत से फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गये। रिपोर्ट में कहा कि पूर्व में भी उस पर हमला हो चूका है।

ग्रामीण एसपी ने बताया कि फरियादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया। मामले में कार्यवाही के लिये कैथून थानाधिकारी मनोज सिकरवार के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। ग्रामीण एसपी ने बताया कि मामले में गठित टीम के सदस्य कांस्टेबल लाखन सिंह को तकनीकी अनुसंधान एवं मुखबीर से सूचना मिली कि फायरिंग में फरार आरोपी आफाक हुसैन एवं समीर गंजा शेरगढ़ किला (जिला बारां) के पास झाड़ियों में छिपे हुए हैं॥ सूचना पर कैथून व बपावर कलां थानाधिकारी मय जाप्ता एवं जिला कोटा ग्रामीण की स्पेशल टीमों द्वारा उक्त स्थान पर दबिश दी गई। बडोद थाना बुढ़ादीत हाल सकतपुरा थाना कुन्हाड़ी निवासी समीर उर्फ गंजा एवं सकतपुरा निवासी आफाक हुसैन उर्फ आशिक हुसैन झाडियों में छिपे हुए दिखाई दिये। उक्त अपराधियों ने पुलिस टीम को देखते ही भागने का प्रयास किया जिस पर पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी कर दोनों को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने मामले में कार्यवाही करते हुए शाहिल हुसैन व अजरूद्दीन को भी गिरफ्तार किया है।

ग्रामीण एसपी ने बताया कि पकड़े गये आरोपियों ने पूछताछ में फायरिंग की घटना के पीछे शकील मेवाती निवासी कनवास हाल निवासी भीमपुरा कैथून का हाथ होना बताया है, जिसने फरियादी को जान से मारने की सुपारी 3 लाख रूपये में दी थी, जिसमें से 20 हजार रूपये एडवांस राशि उक्त मुल्जिमों को दी थी। फायरिंग करवाने के मास्टरमाइंड अपराधी शकील मेवाती की तलाश जारी है।

डूंगरपुर में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

डूंगरपुर, (निसं)। धंबोला थाना क्षेत्र अंतर्गत कोवाडिया फला में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। महिला का शव उसके घर में फंदे से लटका मिला है। मृतका के पीहर पक्ष ने मौत पर संदेह जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है।

सीमलवाड़ा चौकी प्रभारी ने बताया कि रेखा पत्नी रमेश खांट निवासी कोवाडिया फला का शव उसके घर में रस्सी के फंदे पर लटका मिला। घटना के समय महिला घर पर अकेली थी, क्योंकि उसका पति और

- **घर में फँदे से लटका मिला शव, पीहर पक्ष ने जताई हत्या की आशंका**

दो बच्चे अहमदाबाद में मजदूरी के लिए गए हुए थे। पुलिस को घटना की सूचना रात करीब 12 बजे मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्यवाही की। सुबह करीब चार बजे शव को सीमलवाडा मोर्चरी में रखवाया गया। मंगलवार सुबह जब पीहर पक्ष मोर्चरी पहुंचे, तो उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। पीहर पक्ष का कहना है कि उन्हें समय पर सूचना नहीं दी गई और उनकी गैर-मौजूदगी में ही शव को मोर्चरी में रखवा दिया। मृतका के भाई नरेश अहारी ने आशंका जताते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और कानूनी कार्यवाही की मांग की है। फिलहाल पुलिस पीहर पक्ष से समझाइश का प्रयास कर रही है। शव का पोस्टमॉर्टम अभी तक नहीं हो पाया है और वह मोर्चरी में ही रखा हुआ है।

स्काउट गाइड पुरस्कार समारोह आज

जयपुर। जगतपुरा स्थित स्काउट गाइड के राज्य प्रशिक्षण केन्द्र पर बुधवार प्रातः 9 बजे राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह होगा। यह कार्यक्रम मुख्य अतिथि राज्यपाल एवं स्काउट संगठन के संरक्षक हरिभाऊ बागड़े की उपस्थिति में संपन्न होगा। इस अवसर पर सिरोही विधायक ओटाराम देवासी, दातारामगढ़ विधायक वीरेंद्र सिंह, नीमकाथाना विधायक सुरेश मोदी सहित अन्य विधायक एवं पूर्व विधायकों की उपस्थिति रहेगी। राज्य मुख्य आयुक्त निरंजन आर्य ने बताया कि प्रत्येक वर्ष स्काउट गाइड का राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह राज्यपाल के मुख्य आतिथ्य में ही आयोजित होता है। जिनका प्रेरणास्प्रद उद्बोधन बालक-बालिकाओं में देश के प्रति समर्पण के भाव एवं उज्ज्वल भविष्य के मार्ग को प्रशस्त करता है।

इस अवसर पर माननीय राज्यपाल अपने कर कमलों से विधायक देवासी, वीरेन्द्र सिंह, सुरेश मोदी, जिला कलक्टर चूरू अभिषेक सुराना, बांसवाड़ा के कलक्टर इंद्रजीत यादव सहित लगभग 30 समाजसेवी एवं कार्मिकों को 'धन्यवाद बैज' एवं 'मेडल ऑफ मेरिट' से सम्मानित करेंगे।

हिट-एंड-रन मामला दर्ज होने के 15 दिन बाद भी आरोपी फरार

पीड़ित परिवार ने एसपी एवं कलैक्टर को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की

जालोर, (कासं)। जालोर शहर में हुए दर्दनाक सड़क हादसे को लेकर पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक व कलैक्टर से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। अब तक आरोपी वाहन चालक की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।

ज्ञापन में खसाराम पुत्र स्व. चुन्नीलाल माली निवासी एफसीआई गोदाम के पास जालोर ने बताया कि 23 जनवरी दोपहर करीब 3.30 बजे उनके पिता चुन्नीलाल एवं माता नेनू देवी स्कूटी से एफसीआई से महेशपुरा रोड स्थित पिपलीवाला जा रहे थे। इसी दौरान बायपास हाइवे पार करते समय बिशनगढ़ की ओर से तेज गति से आ रही स्कॉर्पियो ने लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी और चालक मौके से फरार हो गया। हादसे में दोनों के सिर, हाथ व पैरों में गंभीर चोटें आईं। राहगीरों की मदद से उन्हें पहले ट्रॉमा सेंटर जालोर ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर पालनपुर रेफर किया गया। इलाज के दौरान 29 जनवरी को चुन्नीलाल का पालनपुर में निधन हो गया, जबकि उनकी पत्नी नेनू देवी का इलाज अभी जारी है।

परिजनों ने बताया कि इस संबंध में 26 जनवरी को पुलिस थाना जालोर में मामला दर्ज करवाया गया था, लेकिन आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। परिजनों द्वारा संदिग्ध वाहन नंबर की सूचना भी पुलिस को दी गई थी। उक्त वाहन को छह फरवरी को कोतवाली थाने लाया गया तथा सीसीटीवी फुटेज की जानकारी भी दी गई, लेकिन सात फरवरी को वाहन को छोड दिया गया।

पीड़ित परिवार का आरोप है कि इतने ठोस सबूतों के बावजूद पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। अब परिवार ने पुलिस अधीक्षक एवं जिला कलैक्टर को ज्ञापन देकर मांग की है कि दोषी चालक को शीघ्र गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि तीन दिन के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो परिवार धरने पर बैठने को मजबूर होगा। यह मामला अब जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है और आमजन भी प्रशासन से त्वरित न्याय की अपेक्षा कर रहे हैं।

आंवला क्रेता-विक्रेता सम्मेलन 13 को

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुसार पंच गौरव योजना के अंतर्गत "एक जिला-एक उपज" योजना के तहत आंवला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जयपुर जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में 13 फरवरी को जयपुर के दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में जिला स्तरीय आंवला क्रेता-विक्रेता सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा।

मुख्य आयोजना अधिकारी डॉ. सुदीप कुमावत ने बताया कि कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशों की अनुपालना में आयोजित होने वाले सम्मेलन में जयपुर जिले सहित आसपास के क्षेत्रों से लगभग 700 से अधिक आंवला उत्पादक किसान, क्रेता, व्यापारी, एफपीओ एवं उद्यमी भाग लेंगे। कार्यक्रम की विशेषता के रूप में जयपुर जिले की सभी पंच गौरव उपजों की पृथक-पृथक स्टॉल लगाई जाएंगी, जिनके माध्यम से किसानों द्वारा उत्पादित स्थानीय विशिष्ट कृषि उपज, उनके मूल्यवर्धित उत्पादों तथा पारंपरिक विशेषताओं का प्रदर्शन किया जाएगा। इससे स्थानीय उत्पादों को व्यापक पहचान मिलने के साथ-साथ विपणन के नए अवसर सृजित होंगे।

जोधपुर में यूडी टैक्स वसूली के लिए कार्रवाई जारी

जोधपुर नगर निगम ने कई दुकानें सीज़ की, व्यापारियों में हड़कंप मचा

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर नगर निगम की तरफ से यूडी टैक्स वसूली के लिए आज दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी रही। नगर निगम अब सख्ती से टैक्स वसूली में लगा है। सोमवार को गई कार्रवाई के बाद मंगलवार को भी शहर में कार्रवाई की गई। कई दुकानों को एक साथ सीज कर सीलबंद किया गया गया। नगर निगम की इस कार्रवाई को लेकर व्यापारियों में हड़कंप मच गया। रेलवे स्टेशन-एमजीएच रोड पर सन्नाटा पसरा रहा। वे इसके लिए रास्ता खोजने में अब जुटे हैं ताकि कार्रवाई से बचा जा सके। एमजीएच रोड पर माथुर समाज की एक स्कूल है। बाहर रोड़ पर कई दुकाने हैं। इस भवन का लाखों का यूडी टैक्स बकाया है।

जानकारी के अनुसार मंगलवार को लगभग 80 से अधिक दुकानें और एक स्कूल को सीज किया गया है। सुबह जब व्यापारी अपनी दुकानें खोलने पहुंचे तब दुकानों पर नोटिस और सील चपड़ी मिली। व्यापारियों में निगम की इस कार्रवाई को लेकर हड़कंप का माहौल बना हुआ है। कई व्यापारी तो दुकानों पर ही नहीं पहुंचे, उससे पहले ही दुकानों पर नोटिस और सीलबंद कर दिया गया।

जोधपुर में नगर निगम ने यूडी टैक्स बकाया नहीं चुकाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ऑफिस और 79 दुकानों को सीज कर दिया। करीब 50 लाख रुपए का शहरी विकास (यूडी) टैक्स लंबे समय से बकाया था। बार-बार नोटिस देने के बावजूद राशि जमा नहीं कराने पर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर ताले जड़ दिए। नगर निगम ने कायस्थ जनरल सभा परिसर में संचालित सर प्रताप लॉ कॉलेज और परिसर की दुकानों पर कार्रवाई को अंजाम दिया। निगम ने कॉलेज में स्टूडेंट्स के मिड टर्म एग्जाम के चलते कॉलेज में कमरों को सीज नहीं किया। वहीं परिसर में बने ऑफिस को सीज किया गया। साथ ही परिसर के आगे की तरफ महात्मा गांधी रोड पर बनी करीब 79 दुकानों को भी सीज किया गया है। संस्था पर 49 लाख 47 हजार 37 रुपए का यूडी टैक्स वर्ष 2017 से बकाया है।

गौरतलब है कि सोमवार को निगम ने सरदारपुरा स्थित एक मैरिज हॉल पर कार्रवाई की थी। सरदारपुरा डी रोड स्थित सेंट एंड्रयूज हॉल को सीज किया गया था। संस्था ने यूडी टैक्स 42 लाख 9 हजार 606 रुपए जमा नहीं कराए थे। निगम की ओर से दिए नोटिस को 15 दिन हो चुके थे। ऐसे में हॉल के चारों गेट को बंद कर दिए गए और ऑफिस को सीज करने की कार्रवाई की गई।

जोधपुर में दो युवतियां बिना बताए घर से निकली

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर में दो युवतियों के बिना बताए कहीं चले जाने के मामले सामने आए हैं। इस संबंध में युवतियों के परिजनों ने पुलिस थानों में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है।

जानकारी के अनुसार पहला मामला प्रताप नगर सदर थाने का है। एक व्यक्ति ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसकी 18 साल की बेटी सोमवार को घर से बिना बताए कहीं चली गई, जिसका आस पड़ोस और रिश्तेदारों में पता करने पर कोई जानकारी नहीं मिली। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच सहायक उप निरीक्षक देवाराम को सौंपी है।

दूसरा मामला बासनी थाने का सामने आया है। एक व्यक्ति ने थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि उसकी 21 साल की बेटी सोमवार को बिना बताए घर से कहीं चली गई है। वह वापस घर नहीं लौटी और न ही उसका कहीं पता चल पाया है। मामले की जांच कॉन्स्टेबल विजय कर रहे हैं।

पेड़ कटाई के दौरान बिजली के तारों पर गिरी लकड़ी, शॉर्ट सर्किट हुआ

शॉर्ट सर्किट से दर्जनभर मकानों और दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित बिजली के उपकरण जल गए

अजमेर, (निसं)। शहर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत विकासपुरी इलाके में स्थित शिव मंदिर के पास उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक मकान मालिक द्वारा अपने घर के बाहर लगे पेड़ की कटाई करवाई जा रही थी। कटाई के दौरान पेड़ की एक भारी लकड़ी सीधे बिजली के तारों पर गिर गई, जिससे तेज शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से शिव मंदिर के आसपास स्थित करीब दर्जनभर मकानों और दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित अन्य बिजली के उपकरण जलकर खराब हो गए। अचानक हुई इस घटना से क्षेत्रवासियों में भारी रोष देखने को मिला।

घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग के अधिकारियों को सूचना दी। सूचना मिलते ही विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। बिजली आपूर्ति को कुछ समय के लिए बंद कर सुरक्षित किया गया। बिजली विभाग की टीम ने मौके पर मुआयना कर प्रत्येक घर और दुकान का सर्वे शुरू किया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि किस परिवार को कितना नुकसान हुआ है। विभाग द्वारा नुकसान का पूरा आकलन तैयार किया जा रहा है।

क्षेत्रवासियों के अनुसार बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया कि संबंधित मकान मालिक ने बिजली लाइनों के पास लगे पेड़ की डालियां काटने से पहले विभाग से कोई अनुमति नहीं ली थी। विभाग ने इस पूरे मामले को स्पष्ट लापरवाही करार दिया है।

कक्षा कक्ष के बरामदे में फर्श धंसने के मामले को शिक्षा विभाग ने गंभीरता से लिया

तकनीकी अधिकारी की मौजूदगी में त्रुटिपूर्ण फर्श कार्य को पुनः गुणवत्तापूर्ण कराया जा रहा है

माण्डलगढ़, (निसं)। माण्डलगढ़ क्षेत्र में राजगढ़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के बरामदे में फर्श धंसने के मामले को जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा विभाग ने गम्भीरता से लिया है। तकनीकी अधिकारी की मौजूदगी में त्रुटिपूर्ण फर्श के कार्य को पुनः गुणवत्तापूर्ण कराया जा रहा है।

राजगढ़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य शिवराज मीणा ने बताया कि स्कूल परिसर में नवनिर्मित दोनों कक्षा कक्ष और बरामदे की सम्पूर्ण फर्श को संवेदक ने उखाड़ दिया है और एक फीट खुदाई कर खरंजा एवं पीसीसी कर दोबारा नया फर्श निर्माण कराया जा रहा है। प्रधानाचार्य का कहना है कि तकनीकी अधिकारियों से भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र मिलने के पश्चात ही दोनों कक्षा कक्ष को विद्यार्थियों के बैठने में उपयोग में लिया जाएगा।

मौक़े पर कनिष्ट अभियंता मुकेश कुमार चौधरी की निगरानी में फर्श पर कोटा स्टोन की टाइल लगाने का कार्य किया जा रहा है। वहीं नवनिर्मित कक्षा कक्ष की छत, दीवारें और अन्य निर्माण की गुणवत्ता की बारीकी से जांच की जा रही है। भवन निर्माण में जो भी घटिया एवं त्रुटिपूर्ण निर्माण होगा, उसे भवन निर्माण के तय मापदण्ड के अनुसार किया जाएगा।

गौरतलब है कि गत सात फरवरी को नवनिर्मित कक्षा कक्ष का लोकार्पण करने माण्डलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल पहुंचे थे। इस दौरान लोगों की भीड़ से कक्षा कक्ष के बरामदे का फर्श अचानक धंस गया था। इससे एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया था।

माण्डलगढ़ के सरकारी स्कूल में नव निर्मित कक्षा कक्ष की फर्श धँसने के बाद पुनः नया फर्श लगाया जा रहा हैं।

- **गत सात फरवरी को नवनिर्मित कक्षा कक्ष के बरामदे का फर्श लोकार्पण करने के दौरान लोगों की भीड़ से अचानक धंस गया था**
- **माण्डलगढ़ के राजगढ़ में कक्षा कक्ष के फर्श और छत का भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र आने के बाद विद्यार्थियों को बैठाया जाएगा : प्रधानाचार्य**

स्कूल लेक्चरर के स्थानांतरण एवं कार्यमुक्ति आदेश पर रोक

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जोधपुर ने सुनवाई की

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जोधपुर ने स्कूल लेक्चरर के मामले में सुनवाई करते हुए उनके स्थानांतरण एवं कार्यमुक्ति आदेश पर रोक लगाई है। आदेश 10 जनवरी 26 को जारी हुए थे। इस बारे में मंगलवार को आदेश जारी हुए।

बीकानेर निवासी सुधा हर्ष जो कि वर्तमान में स्कूल लेक्चरर (ग्रह विज्ञान) के पद पर कार्यरत है। सुधा हर्ष वर्तमान में राजकीय बालिका सीनियर सैण्डरी स्कूल बारहगुवाड में स्कूल लेक्चरर के पद पर कार्यरत है। वह मस्तिष्क ज्वर संबंधी बीमारी से ग्रसित है तथा उसे मस्तिष्क टीबी सम्बंधी गंभीर बीमारी भी है। बीमारी के संदर्भ में सक्षम चिकित्सक द्वारा प्रमाण पत्र भी जारी किया हुआ है, इसके बावजूद भी निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा उसका वर्तमान स्थान से हीरा बाई गटटानी राजकीय बालिका विद्यालय नोखा बीकानेर 10 जनवरी 2026 से

- **स्कूल लेक्चरर बीकानेर का मामला, आदेश 10 जनवरी को जारी हुए थे**

स्थानांतरण कर दिया एंव 10 जनवरी को ही उसे कार्यमुक्त भी कर दिया।

शिक्षा विभाग की स्थानांतरण संबंधी दिशा निर्देशों जो 14 जुलाई 2022 को जारी किये गये, उन दिशा निर्देशों में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि गंभीर बीमारी (मस्तिष्क संबंधी बीमारी, किडनी ट्रासंप्लाट, हद्रय रोग संबधी) वाले कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया जायेगा। सुधा हर्ष का स्थानांतरण 10 जनवरी 2026 को जारी किया गया व 10 जनवरी 2026 को ही विभाग द्वारा उसे कार्यमुक्त कर दिया गया। स्थानांतरण व कार्यमुक्ति आदेश से व्यथित होकर पीड़िता ने एक अपील राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण के समक्ष अपने अधिवक्ता प्रमेन्द्र बोहरा व नीता छंगाणी के माध्यम से प्रस्तुत की। अधिकरण के समक्ष अधिवक्ता का यह तर्क था कि जब शिक्षा विभाग का मध्यवर्ती सत्र चल रहा है व शिक्षा विभाग द्वारा स्थानांतरण सबंधी दिशा निर्देश जो 14 जुलाई 2022 को जारी किए गए, उसमें यह स्पष्ट प्रावधान है कि गंभीर बीमारी से ग्रसित कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद भी सुधा हर्ष का स्थानांतरण किया गया है। उनका स्थानांतरण नहीं किया जाना चाहिए था क्योंकि अपीलार्थी मस्तिष्क ज्वर से एवं मस्तिष्क में टीबी नामक बीमारी से ग्रसित है।

प्रार्थीनी के अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए अधिकरण ने माध्यमिक शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया तथा प्रार्थीनी के स्थांनातरण आदेश व कार्यमुंक्त आदेश पर आगामी आदेश तक रोक लगायी है।